



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला श्रीगंगानगर (राज.)

01509-220006, 223877 (ऑफिस)

फैक्स-01509-220063, 223877 (ऑफिस)

क्रमांक-सीएसएफ/सूरत/2-271/कृषि/2014.

दिनांक

:- निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में खण्ड 1 के चक बीआरपी 3 (267.0 हैक्टर) में रबी -2015-16 के सीजन में उगाई जाने वाली फसलों के कृषि कार्यों के श्रमिक व मशीन कार्य की आउटसोर्सिंग फसलों को उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु सीलबन्द निविदायें/खुली बोली दिनांक 17.09.2015 को सांय 2.30 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। दिनांक 17.09.2015 को अन्तिम निर्णय नहीं होने पर निविदाएं वैकल्पिक तिथि 21.09.2015 को पुनः निर्धारित समय सांय 2.30 बजे तक ली जायेगी जिसकी कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि रुपये 2,00,000/- मात्र (रुपये दो लाख) का डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। असफल बोलीदाता की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती और निविदाफार्म, प्रपत्र एवम् नियम शर्तें रुपये 500/- का डी डी जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबन्धक (उत्पादन)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

पत्रांक/के0रा0फा0/सूरत/2-आउटसोर्सिंग/2025-16

दिनांक 2015

निविदा पत्र

1. फर्म या ठेकेदार का नाम व पता.....
2. पेन नम्बर.....
3. अमानत राशि का विवरण डी0डी0 नम्बर.....

क्र० सं०	चक का नाम व प्रस्तावित एरिया	हिस्से की दर प्रतिशत में जो निविदादाता द्वारा ली जानी है।	
		रबी-2015-16	हिस्से का प्रतिशत विवरण रबी-2015-16
2.	बीआरपी-3 267.0 हैक्टर	सरसों गेहूँ,चना जौ व अन्य फसलें	

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का सपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम व पूरा पता.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

पत्रांक/के0रा0फा0/सूरत/2-आउटसोर्सिंग/2025-16

दिनांक

2015

प्रस्तावित न्यूनतम उपज सीमा

सीजन	चक न० व एरिया	फसल का नाम	फार्म द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपज सीमा प्रति हैक्टर (क्विण्टल में)
रबी-2015-16	बीआरपी-3 267.0 हैक्टर	सरसों	10.00
		गेहूँ	25.00
		जौ	20.00
		चना	6.00

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम व पूरा पता.....

केन्द्रीय राज्य फार्म:सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

विषय:- फसल उत्पादन में हिस्सा आधारित शस्य क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले श्रमिक व मशीन की आउट सोर्सिंग की नियम व शर्तें।

1. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज,उर्वरक कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) पानी (उपलब्धतानुसार) फसलवार फार्म द्वारा तय नोर्मस के मुताबिक फार्म की तरफ से उपलब्ध कराया जायेगा।
2. खेती से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुआई,उर्वरक का इस्तेमाल,पलेवा,सिंचाई,कृषि रसायन का इस्तेमाल,सिंचाई नालियों की साफ सफाई,फसल निराई गुड़ाई,रोंगिंग, फसल की रखवाली,कटाई/गहाई, उत्पादन को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक ऑपरेशन ठेकेदार को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ उत्पादन) के हिस्से की रकम दी जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से वर्ष 2015-16 के (रबी 2015-16) सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर दिया जायेगा। ठेकेदार को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार फसल के उत्पादन को खलिहान पर प्राप्ति के 15 दिन बाद किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में श्रीगंगानगर मण्डी के आवक पिरियड के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
3. निविदादाता(ठेकेदार)द्वारा सम्बन्धित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्य सम्बन्धित चक ईंचार्ज,खण्ड प्रभारी, व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
4. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतन्त्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल ठेकेदार को ही वहन करना होगा।
5. बीज उत्पादन के लिये पृथक्करण,रोंगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी।
6. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम् दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे,खर्चे को ठेकेदार को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
7. कटाई,थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर व पैकिंग करके निर्धारित बीज की नमी पर फार्म को देना होगा।
8. संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में ठेका पूर्ण होने पर इन्हे वापस फार्म को

सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पत्ति का ठेकेदार व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई ठेकेदार के कार्य के बिल के भुगतान/जमा धरोहर राशि से किया जायेगा।

9. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवम् अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
10. बीज प्रमाणीकरण से संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस फार्म द्वारा वहन की जायेगी।
11. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा।
12. ठेकेदार को ठेके के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
13. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल श्रमिक व मशीन की आउटसोर्सिंग का कार्य रबी सीजन (रबी 2015-16) के लिए ही होगा।
14. निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि रुपये 2,00,000/- मात्र (रुपये दो लाख) का डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ठेकेदार को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा तथा नियमानुसार टीडीएस भी देना होगा।
15. निविदादाता द्वारा कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी अमानत राशि को भी फार्म द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
16. ठेकेदार का सम्बन्ध केवल कृषि कार्य से ही रहेगा।
17. ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थायी निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत्त कार्यों के अतिरिक्त) नहीं करेगा।
18. ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व मशीन की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध करवानी होगी।
19. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पूर्वानुमान/नियन्त्रण/निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबन्धन का निर्णय ही अन्तिम होगा।
20. सभी फसलों का नीरा गूणा ठेकेदार का होगा जिसका निस्तारण गह्राई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वयं करेगा।
21. किये गये कार्य श्रमिक व मशीन मद में खर्च के एवज में ठेकेदार को पहली किश्त सीजन की फसल बुआई के उपरान्त अग्रिम भुगतान के रूप में रुपये 1500/- प्रति हैक्टेयर व दूसरी किश्त रुपये 1000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से फसल कटाई के पूर्व भुगतान का प्रावधान रहेगा जिसे अंतिम देय भुगतान से समायोजित कर लिया जायेगा।
22. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति की आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा निविदा के पूर्व किया जायेगा।
23. फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान आदि के बारे में फार्म द्वारा गठित समिति के आंकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
24. प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि ठेकेदार की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब ठेकेदार इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
25. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
26. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबन्धक निदेशक, कॉर्पोरेट आफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लि० नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायालय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अन्तर्गत फार्म आता है।

प्रबन्धक(उत्पादन)

ठेकेदार के हस्ताक्षर